

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्ती

रामधन

बनाम


भीरीलाल

संख्या

58/19

११

दिनांक आदेश के कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/3/22	<p>पत्रावली पेशा है। वकील वादी अउपस्थित। बार-बार अपील लखवाइ गई कि कई उपस्थित नहीं आया वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अनिश्चयता को ठीक पेशी पर प्रतिवादी सख्तों के काममें सूकामान पेशा करने की हिदायत दी जा चुकी थी किन्तु वकील वादी ना हीता आज उपस्थित है और नही न्यायालय हाजा के उर्व अधिका की पासना वकील वादी के असा का गई है अन्तम अपील न्यायालय हाजा के समग्र 4:45 PM पर लखवाइ गई कि कई उपस्थित नहीं आया रसते थट पुर होता है कि वादी एवं वकील वादी वाद पत्र का अगे -पलाने / अग्रसर करने हेतु फलायई व चक्य नहीं है सिहाजा वादी का वाद अदम पैरवी अपम पेशी हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली के मल वक्राट होकर वर्ज नम्बर से कम होने पर वासिल पण्ठार है।</p>	


उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)